संलग्नक II

रूस को किए गए निर्यातों की प्रतिपूर्ति के दावे संबंधी फार्मेट

संदर्भ सं.

मुख्य महाप्रबंधक
जमा खाता विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई - 400 001

महोदय,

पूर्वविद्यमान यूएसएसआर के
सरकारी ऋणों की चुकौती - रूस को निर्यातित
वस्तुओं व सेवाओं की प्रतिपूर्ति का दावा

कृपया दिनांक ..... का अपना पत्र सं..... देखें, जिसके अनुसार आपने रूस को किए गए निर्यात के संबंध में खोले गए एलसी की प्रतिपूर्ति हेतु अपनी पुष्टि की सूचना हमें दी थी।

हम एतद्द्वारा निम्नलिखित ब्योरे के मुताबिक रु ..... का दावा प्रस्तुत कर रहे हैं।

क) निर्यात लेनदेन से संबद्ध पार्टियों का विवरण :

i) एलसी के मुताबिक हिताधिकारी का नाम व पता : _____

ii) निर्यातकर्ता/हिताधिकारी का नाम व पता (अंतरित एलसी के मामले में) : _____

iii) एलसी के मुताबिक आयातकर्ता/ परेषिती का नाम व पता : _____

ख) एलसी के ब्योरे : _____

i) एलसी सं. और तारीख : _____

ii) एलसी का मूल्य : _____

क) मूल एलसी : _____

ख) अंतरित एलसी : _____

iii) एलसी की समाप्ति की तारीख : _____

iv) रिज़र्व बैंक में एलसी की पंजीकरण-संख्या और तारीख : _____

ग) नामित बैंकों के ब्योरे

एलसी के मुताबिक नामित बैंक का नाम व पता : _____

_____

घ) निर्यातों का विवरण

i) जीआर फार्म सं. एवं तारीख : _____

ii) वस्तु : _____

iii) मात्रा : _____

iv) मूल्य : _____

ङ) दस्तावेजों के सौदों का विवरण

i) पोतलदान की तारीख : _____

ii) सौदे हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की तारीख : _____

_____

iii) नामित बैंक द्वारा किए गए सौदों की तारीख एवं संदर्भ सं. तथा उनके पत्र की तारीख : _____

_____

_____

iv) दावे की राशि : _____

3. उपर्युक्त दावे के समर्थन में हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि :

i) विचाराधीन निर्यात मौजूदा एक्जिम नीति एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गईं परवर्ती अधिसूचनाओं के अनुरूप है;

ii) निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमों व विनियमों का पूर्णत: अनुपालन किया गया है;

iii) हमने विचाराधीन एलसी के निबंधन व शर्तों तथा उसमें यूसीपी 500 के प्रावधानों के मुताबिक किए गए परवर्ती संशोधनों के अनुसार दस्तावेजों के पूरे समझौते किए हैं। इसके अलावा, एलसी में किए गए संशोधनों, जिन्हें दिनांक 18 मई 1995 के ए.डी. (जी.पी. शृंखला) परिपत्र सं.2 के अनुसरण में रिज़र्व बैंक (जमा खाता विभाग) के पास पंजीकृत करना अपेक्षित था, को रिज़र्व बैंक में विधिवत् पंजीकृत किया गया;

iv) एलसी के तहत सौदे किए गए दस्तावेजों से अन्य किसी देशों को निर्यात किए जाने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं मिलता है तथा उन दस्तावेजों का केवल रूस को किए गए पोतलदान के प्रमाणस्वरूप सौदा किया गया है।

v) खोलने वाले बैंक को पाई गईं विसंगतियों की सूचना दी गई और हमारे द्वारा दस्तावेजों का सौदा करने से पहले खोलने वाले बैंक ने उन्हें मान लिया। इस संबंध में बीएफईए से प्राप्त पत्र/सूचना की सही प्रतिलिपि संलग्न की गई है।

vi) एलसी के खोले जाने एवं रिज़र्व बैंक के पास उसका पंजीकरण करने से पहले पोतलदान नहीं किया गया था। एसा कोई पोतलदान नहीं किया गया जो मूल एलसी के निबंधन व शर्तों के विपरीत हो तथा बीएफईए द्वारा निबंधन व शर्तों में अपेक्षित परिवर्तन की अनुमति के तौर पर किए गए संगत संशोधन प्राप्त होने से पहले किया गया हो।

vii) क) उपर्युक्त एलसी के अंतर्गत किसी अनाहरित शेष राशि/प्रतिधारण राशि की व्यवस्था नहीं है।

ख) एलसी के अंतर्गत .....% की अनाहरित शेष राशि/प्रतिधारण राशि की व्यवस्था है।

अत: दावे की राशि को .....% तक सीमित रखा गया है।

4. हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सूचना सत्य और सही है। हम यह जानते हैं कि यदि इस दावे के संबंध में किसी भी समय किसी अनियमितता/विसंगति का पता चलता है तो रिज़र्व बैंक को पैरा 5(बी) में यथावर्णित भुगतानों के संबंध में वसूली करने के साथ-साथ एसी कार्रवाई करने का अधिकार है जिसे वह उचित समझता हो।

5. हम एतद्द्वारा रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत करते हैं :

क) जारीकर्ता बैंक को देय प्रभारों के बारे में बिल की प्राप्य-राशियों से रु ..... की राशि काटना तथा उसे अपने यहाँ मौजूद बीएफईए के केंद्रीय खाते में जमा कराना।

ख) यदि परक्रामित दस्?तावेजों में कोई अनियमितता/विसंगति पाई जाती हो या लेनदेन (लेनदेनों) के संबंध में किसी एसी अनियमितता का पता चलता हो जिससे रिज़र्व बैंक को प्रतिपूर्ति के संबंध में अतिरिक्त/दोहरे दावे करने पड़ें तो हमारे खाते में नामे डालकर स्वयं को प्रतिपूर्ति करना।

मोहर सहित हस्ताक्षर :

तारीख :

नाम :

पदनाम :

हस्ताक्षरकर्ता की कूट सं. :

नोट : इसमें नामित बैंक शाखा के प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित रिकार्ड की समुचित छानबीन करने के बाद हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।